

भारतीय मानक ब्यूरो

(सामान्य सेवाएँ विभाग)

परिपत्र

Sub.:- Parking Instructions – reg.

After approval of Competent Authority, all the departments at HQs are requested to ensure the following: -


सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालय के वाहनों का सर्वे करवाया जिसमे पाया गया है कि बहुत से अधिकारियों / कर्मचारियों तथा संविदा कर्मचारियों द्वारा अभी तक पार्किंग पास जारी नहीं करवाये गये है ।

सभी अधिकारियों / कर्मचारियों तथा संविदा कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे 25.09.2022 तक अपने-अपने पार्किंग पास जारी करवा ले, अन्यथा उसके बाद कोई भी वाहन बिना पार्किंग पास के कार्यालय मे प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा ।

इस के अलावा, सुरक्षा विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि कुछ लोग पार्किंग के समय वहां खड़े गाड़ों के निर्देश का पालन नहीं करते हैं और गाड़ी कहीं भी खड़ी करके चले जाते हैं जिससे बाकी वाहनों को खड़े करवाने या निकलवाने मे गाड़ों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ।

सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि यदि ऐसी स्थिति मे किसी भी गाड़ी की शिकायत गाड़ों द्वारा की गई तो उस गाड़ी का पार्किंग पास रद्द कर दिया जायेगा एवं उस वाहन को कार्यालय मे प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जायेगी । कृपया वहाँ खड़े गाड़ों के निर्देश का पालन करे ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को वाहन खड़ा करने मे कोई असुविधा न हो ।

उपरोक्त के अनुसार जिन्होंने कोई पास जारी नहीं करवाये हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया निर्देशों का पालन करें और 25 सितंबर 2022 तक पास जारी करवाएं।



(N. Ravi Shankar)

Director (GSD)